कार्यालयः- नगर पंचायत, रामनगर प0 चम्पारण

पत्रांक 207 /रामनगर दिनांक 05.3./2019

507
05-03-19

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, रामनगर।

सेवा में,

श्री संजीव

उप महालेखाकार–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक,
महालेखाकार, बिहार, पटना।

विषयः– **अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–461/2013–14 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 213–14 की अवधि में आपके कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा अभिलेखों एवं पंजियों से संबंधित कुछ आपत्ति निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–461/2013–14 द्वारा लगायी गई थी। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन का जवाब मेरे कार्यालय द्वारा तैयार कर ली गई है, जिसे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा किया जाए।

अनु0:–तदैव।

विश्वासभाजन

5/3/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, रामनगर।

ज्ञापांक 207 /रामनगर दिनांक 05/3/2019

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

5/3/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, रामनगर।

कार्यालय :– नगर पंचायत , रामनगर प0 चम्पारण

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 461/2013-14 का अनुपाल प्रतिवेदन ।

सं0:–	प्रश्न :–	प्रति उत्तर :–
8.		
1.	सामान्य रोकड़बही में जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही पाया गया।	अंकेक्षण अवधि में ही तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी से हस्ताक्षर करा लिया गया था।
2.	सितम्बर 2012 से मार्च 2013 तक प्रत्येक माह के अंत में रोकड़बही एवं बैंक खाते का अवशेष का समाधान विवरण नहीं पाया गया।	वर्तमान अंकेक्षण अवधि में रोकड़बही एवं बैंक खाते का अवशेष का समाधान विवरण दिखा दिया गया।
3.	नगर पंचायत, द्वारा प्रत्येक मद की सहायक रोकड़पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जबकि बी0आर0जी0एफ0 12वी 13वी आदि अनुदान की राशि का पृथक रोकड़पंजी का संधारण किए जाने का निर्देश प्राप्त था।	वर्तमान अंकेक्षण अवधि में सहायक रोकड़बही तैयार कर दिखा गया।
10 (1)	बजट प्राक्कलन समयानुसार तैयार नहीं किया गया था तथा चार माह विलंब से अनुमोदन किया गया था।	नगरपालिका चुनाव के फलस्वरूप वर्ष 2012 के माह मार्च में आर्दश आचार संहिता लगने के कारण बोर्ड की बैठक नहीं हो पाने के कारण बजट का अनुमोदन ससमय नहीं हो पाया।
(2)	वर्ष 2012–13 का बजट प्राक्कलन राज्य सरकार को कब प्रेषित किया गया तथा अनुमोदित किया गया।	
(3)	बजट प्राक्कलन में अनुमानित प्राप्ति (स्वंय के स्रोत से एवं राजस्व से) एवं ब्यय में वास्तविक प्राप्ति एवं ब्यय सीमा 15% से ज्यादा का अंर पाया गया ।	
11.	नगर पंचायत, रामनगर द्वारा संधारित रोकड़बही के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान विभिन्न मदो में कुल 39471996 रू0 अनुदान की प्राप्ति हुई (पूर्ण विवरण संलग्न) जिसका वर्षवार योग निम्नलिखित हैं :–	सभी त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया हैं जिसे वर्त्तमान अंकेक्षण में भी दिखा दिया गया है।

वर्ष	अनुदान की राशि

2011–12	11764211
2012–13	27707785

लेखापरीक्षा में प्रस्तृत प्राप्त आवंटन से संबंधित अनुदान पंजी तथा अनुदान पंजी तथा अनुदान विनियोग पंजी जिसमें पूर्व का शेष , वर्ष का ब्यय तथा 31.03.2013 का शेष दर्ज हो लेखापरिक्षा में प्रस्तृत किया गया जिसके नमूना जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत, को प्राप्त सभी अनुदानों को इस पंजी में दर्ज नहीं किया गया। कुछ अनुदान जिसकी प्रविष्टि पंजी में की गई थी, की जांच में पाया गया कि कुल 33343361 रू0 31.03.2013 तक शेष पड़ी हुई है जिसका विवरण संलग्न हैं। शेष राशि में देखा गया कि नागरिक सुख सुविधा के तहत पोखर घाट पार्क इत्यादि, प्रशासनिक भवन में वर्षो से राशि अवरूद्व पड़ी हुई है। अनुदान पंजी की जॉच के क्रम में पाया गया कि वेतन अनुदान में 31.03.2013 को 39418 रू0 दर्ज पाया गया, परन्तु वास्तविक में 52974.00 है।

12. 13वीं वित्त आयोग

13 वी वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पंचायत, रामनगर को निम्नलिखित कुल 7030000 रू0 अनुदान की प्राप्ति हुई।

13वी वित आयोग मद की समस्त राशि का ब्यय किया जा चुका है। जिसका उपयागिता प्रमाण पत्र भी विभाग को भी दी जा चुकी है।

क्र0 सं0	रोकड़बही की तिथि	स्वीकृति पत्र/ दिनांक	राशि
1	20.08.011	सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 4713 दिनांक 17.08.010	1500000.00
2	27.03.012	सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 24 दिनांक 23.08.011	200000.00
3	27.03.012	सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 21 दिनांक 04.08.011	1600000.00
4	18.07.012	सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 01 दिनांक 03.04.012	1183000.00
5	15.09.012	सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 19 दिनांक 19.07.012	1931000.00
6	31.01.012	सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 36 दिनांक 31.08.012	616000.00

प्राप्त अनुदान की राशि को निम्नलिखित मर्दो में खर्च किया जाना है:

(1) 50 : राशि का ब्यय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एवं शेष 50 : राशि का ब्यय निम्नवत् होना है।

(2) जलापूर्ति एवं साफ सफाई

(3) बिजली का प्रबंध

(4) बिजली बिल भुगतान हेतु

(5) रैन बसेरा तथा वृद्वाश्रम का निर्माण

लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत, बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में दिनांक 22.06.012 को इस मद के अंतर्गत कुल 26 योजना स्वीकृत की गई तथा नगर पंचायत, रामनगर द्वारा योजना के अंतर्गत 1260526.00 रू0 का ब्यय उपरोक्त दिशा निर्देश के विपरीत किया गया। 31.03.013 को इस मद में कुल 5769474.00 रू0 शेष पड़ी हुई थी। शेष राशि नगर पंचायत, द्वारा ब्यय नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। चुकि अनुदान स्वीकृति पत्र के कंडिका 4 के अनुसार अनुदान की राशि जिस वर्ष के लिए कर्नाकित था का ब्यय उसी वर्ष में कर लेना हैं तथा ब्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले0एवं0 ह0) को भेजा जाना था।

इस प्रकार तेरहवी वित आयोग निधि से प्राप्त राशि का अन्य कार्यो में उपयोग कर सरकारी दिशा निर्देशों का उलंघन किया गया।

बिहार म्युनिसिपल एक्ट की धारा 45 पपर विहित सबसे महत्वपूर्ण कार्य जैसे जलापूर्ति एवं जल निकासी, जल जमाव से मुक्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सड़कों की रोशनी आदि पर 13 वीं वित्त से खर्च नहीं करना नगर पंचायत, की कार्यशैली पर बिल्कुल नकारात्मक छवि प्रस्तृत करता है। नगर पंचायत, द्वारा अंकेक्षण आपत्ति का कोई जबाव नही दिया गया।

13. कम जमा/नहीं जमा

गृहकर रसीद एवं विविध रसीद, बैंक पासबुक, रोकड़बही की नमूना जॉच में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा वसूल की गयी राशि में से रू0 215610 नगर पंचायत, निधि में जमा नहीं किया गया। फिर भी लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में रू0 68970.00 नगर पंचायत निधि में जमा करवाई गयी। विवरण इस प्रकार है:–

क्र0 सं0	वसूलकर्त्ता का नाम	नहीं जमा राशि	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा राशि	शेष राशि

उपर्युक्त सभी राशि अंकेक्षण अवधि में ही जमा करा दिया गया था। रसीद एवं रोकड़पाल रोकडत्रबही की छायाप्रति संलग्न।

1	श्री कृष्ण कुमार सिंह नेपाली , कर संग्राहक	58436	58436	——
2	श्री शशीन्द्र श्रेष्ठ, कर दारोगा	109489	10534	98955.00
3.	श्री इन्द्रदेव यादव	47685	——	47685.00
	कुल	215610.00	68970.00	146640.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–iV पर)

लेखा परीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि सभी राशि बैंक में जमा कर दी गयी है। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर के साथ मात्र रू0 68970.00 के जमा करने के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट संलग्न किया गया। शेष राशि के जमा होने का प्रमाण नहीं दिया गया।

14. जमा राशि की प्रविष्टि रोकड़पाल की रोकड़बही में नहीं

विभिन्न कर संग्रहकों द्वारा वसूली गयी गृह कर की राशि नगर पंचायत, निधि में जमा किया गया था। 31.03.013 के बाद रोकड़पाल रोकड़बही नहीं होने के कारण उसका मिलान रोकड़बही से नहीं किया जा सका। विवरण इस प्रकार हैं :–

क्र0 सं0	रसीद सं0	तिथि राशि	जमा करने की तिथि	कर–संग्रहक का नाम	कर संग्राहक का नाम
1.	24856 से 24900 तथा 24901 से 24907	22.05.012 से 11.06.012	6528.00	12.06.012	श्री सुलेमान अंसारी
2.	26901 से 27000 तथा 27101 से 27133	15.03.013 से 31.03.013	40308.00	06.04.013	श्री सुलेमान अंसारी
3.	27134 से 27180	03.04.013 से 04.05.013	10856.00	06.05.013	श्री सुलेमान अंसारी

उपर्युक्त सभी राशि को रोकड़पाल रोकड़बही में प्रवृष्ट कर लिया गया हैं। जिसे अंकेक्षण दल का दिखा दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।

4.	27181 से 27200 तथा 27401 से	07.05.013 से 28.05.013	12031.00	30.05.013	श्री सुलेमान अंसारी
5.	26766 से 26800	05.04.013 से 06.04.013	44074.00	19.06.013	श्री कृष्ण कुमार सिंह नेपाली
6.	27201 से 27287	08.04.013 से 15.06.013	14362.00	19.06.013	श्री कृष्ण कुमार सिंह नेपाली

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि रोकड़बही में प्रविष्टी कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

15.	**हरिनगर सुगर मिल पर होल्डिंग टैक्स की भारी बकाया राशि** रू0 1093144.00 नगर पंचायत, रामनगर द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार हरिनगर सुगर मिल पर 2009–10 से 2012–13 तक होल्डिंग टैक्स के मद में कुल 1093144.00 बकाया पाया गया। विवरण से स्पष्ट हैं कि सुगर मिल द्वारा वर्ष 2009–10 से होल्डिंग टैक्स की राशि जमा ही नहीं की गयी। इससे नगर पंचायत, को भारी राजस्व हानि हो रही हैं।	हरिनगर सुगर मिल द्वारा बकाया होल्डिंग टैक्स वित्तिय वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक का राशि मो0 34,79,634.00 रू0 दिनांक 22.03.2018 को चेक के माध्यम से जमा करा दिया गया है।
16.	**अधिष्ठापित मोबाईल टावरों के भुस्वामी से ब्यावसायिक कर की वसूली नहीं रू0 34159.00** नगर पंचायत, के बोर्ड की साधारण बैठक दिनांक 26.06.2012 के प्रस्ताव 4(घ) एवं सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 में लिए गये निर्णय के आलोक में नगर पंचायत, क्षेत्र अंतर्गत अधिष्ठापित मोबाईल टावरों के भु–स्वामियों से ब्यावसायिक कर वसूली किया जाना था। संचिका में संलग्न विवरणी के अनुसार 2012 तक भु–स्वामियों पर कुल 34159.00 रू0 ब्यवसायिक कर बकाया था। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि बकाए के भुगतान हेतु बकायदारों पर नोटिस निर्गत किया गया है। अतः रू0 34159.00 संबंधित भू–स्वामियों से वसूल कर नगर पंचायत, निधि में जमा की जाय।	टावर भु–स्वामीयों से मो0 29995/– रू0 जमा करा लिया गया हैं। बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस निर्गत किया जा रहा है। छायाप्रति संलग्न।
17.	**सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर बकाया कर रू0 0713932/–** नगर पंचायत, द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार नगर पंचायत, क्षेत्रान्तर्गत स्थित विभिन्न सरकारी भवनों एवं अर्द्धसरकारी भवनों पर कुल रू0 0713932/– होल्डिंग टैक्स बकाया था। बकाया राशि अविलंब वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा की जाय एवं जमा किए गए राशि को अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।	बकाया वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

18.	**शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर जमा नहीं रू0 411917** नगर पंचायत, रामनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरण के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के मद में कुल रू0 457686/– की वसूली गई परन्तु उसमें से 10 प्रतिशत वसूली प्रभार काटकर शेष राशि को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी। अतः 411917/– राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा की जाय।	जमा करने कार्रवाई की जा रही है।
19.	**खतरनाक एवं भयावह ब्यापार कर की वसूली नहीं: रू0 86200** नगर पंचायत, द्वारा खतरनाक ब्यापार से संबंधित संचिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। फिर भी इससे संबंधित विवरणिका के अनुसार वर्ष 2011–12 में रू0 44400/– के विरूद्व मात्र रू0 2600/– की वसूली की गयी जबकि 2012–13 में कोई वसूली नहीं की गयी। वर्ष 2012–13 के अंत तक रू0 86,200/– खतरनाक एवं भयावह ब्यापार कर के मद में वसूली हेतु लंबित था। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि बकायदारों पर नोटिस निर्गत कर कार्रवाई की जा रही है।	खतरनाक ब्यापार मद मो0 23600/– रू0 जमा की गई है। शेष बकाया हेतु कार्रवाई की जा रही है।
20.	**संचार (मोबाईल) टावर का अपंजीकृत रहना एवं रू0 9180000/– का शुल्क बकाया रहना।** बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया हैं। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत, में पंजीकरण शुल्क रू0 30000/– प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क 8000/– प्रतिटावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के उप वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने समय पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जायेगा। मोबाईल टावर की संचिका में संलग्न विवरणी के अनुसार नगर पंचायत, रामनगर क्षेत्रान्तर्गत 17 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे जिसमें सभी टावर अपंजीकृत थे। उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाईल टावरों पर रू0 9180000/– शुल्क बकाया था। (विवरणी परिशिष्ट–VI पर) नियमावली दिनांक 05.10.012 के अधिसूचित किया गया था, परन्तु लगभग 8 माह बीत जाने के बाद भी एक भी मोबाईल टावर के कम्पनी पर बकाया शुल्क जमा किये जाने संबंधित मांग पत्र नहीं जमा किया गया था।	मोबाईल टावर कम्पनीयों से मो0 370000/– रू0 वसुल की गई है। छायाप्रति संलग्न।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि सभी मोबाईल टावरों को बकाया राशि के भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया जा रहा हैं। पंजीकरण हेतु एयरटेल के द्वारा मो0 180000/– रू0 राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया गया है। (कुल 6 टावर) हेतु जमा राशि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।

अतः मोबाईल टावर कम्पनियों से बकाया राशि रू0 738000 वसूल की जाय। साथ ही एयरटेल कम्पनी द्वारा दी गयी बैंक ड्राफ्ट की राशि को नगर निधि कोष में जमा करवाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तक तक रू0 180000/ को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

22. **श्रम उपकर की कटौती नहीं रू0 69755/–**

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 39 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्यों के कुल व्यय का एक प्रतिशत श्रम उपकर के मद में कटौती करने के पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु नगर पंचायत, रामनगर द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं में निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर के मद में कटौती नहीं किए बिना ही संवेदक को भुगतान कर दिया गया। विपत्रों से उपकर की कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप उपकर की राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को नहीं भेजी गयी। संक्षिपत विवरण निम्नवत है:–

क्र0सं0	मद का नाम	कुल व्यय	1% श्रम उपकर
1	नगर निधि	1413019	14130.19
2	13 वी वित्त आयोग	2068608	20686.48
3	बी0आर0जी0एफ0	2284961	22849.61
4	मैचिग ग्राण्ट	428336	4283.36
कुल :–		61949.24	61950.00

जवाब में बताया गया कि सभी संवेदक से राशि वसूलकर जमा कर दी जाएगी। अतः उपरवर्णित मदों में चलाई गई योजनाओं से संबंधित संवेदकों से निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर की वसूली कर कुल रू0 61950 सरकार के उचित शीर्ष में जमा करवाया जाय।

संवेदको से राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। संवेदको द्वारा राशि जमा करते ही उसे उचित शिर्ष में राशि जमा करा दिया जायेगा।

23. **परिमाण विपत्र की ड्राफ्ट राशि का बैंक के द्वारा नगदी नहीं/जमा नहीं।**

परिमाण विपत्र की बैंक ड्राफ्ट राशि संबंधित बैंक

लेखापरीक्षा में प्रस्तृत परिमाण विपत्र की बिक्री का रजिस्टर, जमा का चालान एवं बैंक पासबुक व बैंक विवरणी की नमूना जॉच में पाया गया कि दिनांक 04.01.011 को बिक्री किया गया परिमाण विपत्र की बिक्री से प्राप्त रू0 169750 का बैंक ड्राफ्ट नगर पंचायत, द्वारा बैंक में जमा नहीं किया गया। साथ ही अन्य तिथियों में परिमाण विपत्र की बिक्री से प्राप्त रू0 391900 का बैंक ड्राफ्ट नगर पंचायत, द्वारा दिनांक 18.11.11 से 06.04.013 की अवधि में उतर बिहार ग्रामीण बैंक में खाता सं0 1009231010004034 में जमा किया परन्तु बैंक द्वारा नगर पंचायत, के खाते में नहीं डाली गयी जिससे नगर पंचायत, उक्त राशि एवं उस राशि पर प्राप्त होनेवाले ब्याज की राशि से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि ड्राफ्ट की राशि का नकदीकरण हेतु संबंधित बैंक को नोटिस दिया गया था जिसके आलोक में अंकेक्षण अवधि में रू0 217250 बैंक को नोटिस दिया गया था। शेष हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतः रू0 169750 का बैंक ड्राफ्ट नगर पंचायत, के खाते में जमा किया जाय तथा बेंक में पूर्व में जमा की गयी रू 391900 का जमा बैंक ड्राफ्ट की शेष राशि रू0 174650 को नगर पंचायत, के खाते में जमा करवाई जाय और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तक तक रू 344400 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता हैं।

खाते मे जमा करा लिया गया है।

24 **गृह कर रसीद/विविधकर अप्रस्तृत**

जॉच किये गये रसीद का मिलान भंडार पंजी करने के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित गृह कर रसीद/विविध रसीद अंकेक्षण में प्रस्तृत नहीं किया गया है। विवरण इस प्रकार हैं :–

क्र0सं0	रसीद सं0	निर्गत होने की तिथि	वसूलकर्त्ता का नाम
1	गृहकर 16701 से 16800	24.04.07	श्री सुलेमान अंसारी
2	17101 से 17200 तक	02.05.07	श्री सुलेमान अंसारी
3	17301 से 17400 तक	11.06.07	श्री सुलेमान अंसारी
4	17401 से 17500 तक	27.06.07	श्री इन्द्रदेव यादव

उपुर्यक्त सभी रसीद को रोकड़पाल रोकड़बही में प्रवृष्ट कर वर्त्तमान अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।

5	17501 से 17600 तक	24.10.07	श्री इन्द्रदेव यादव
6	23301 से 23400 तक	07.01.12	श्री सुलेमान अंसारी
7	27301 से 27400 तक	11.05.013	श्री इन्द्रदेव यादव
8	27401 से 27500 तक	20.05.013	श्री सुलेमान अंसारी
9	विविध रसीद 36001 से 36100	02.09.2009	श्री शशीन्द्र श्रेष्ठ

लेखापरीक्षा आपत्ति के उतर में बताया गया कि रसीद सं0 23301 से 23314 तक श्री अंसारी द्वारा वसूली गई हैं तथा 23315 से 23400 तक श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा वसूली गई हैं तथा न0पं0 खाते में जमा किया हुआ है। 27401 से 27459 तक की राशि दिनांक 02.07.013 को राशि खाते में जमा किया गया है। उपरोक्त रसीद एवं जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। विविध रसीद अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः उपर्युक्त रसीदों को अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाए।

25. SJSRY योजनांतर्गत कार्यान्वित योजना में अनियमितताएँ

वित्तिय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जंयति शहरी रोजगार योजना योजना के तहत वर्षवार कार्यावित योजना का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	ली गयी योजना	योजना पूर्ण	योजना अपूर्ण	योजना में व्यय	प्रा0 राशि
2011–12	3	–	3	232500/–	209400/–

(विवरणी परिशिष्ट–IX पर)

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में निकायों द्वारा विभागीय कार्यान्वयन पर रोक लगा दिया गया था, योजना का कार्यान्वयन संवेदक द्वारा किया जाना था, जबकि इस योजना में कार्य विभागीय कार्य कराया गया था, जो अनियमित था। योजना की संचिका के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 12.05.2012 को योजना के पूर्ण होने के उपरांत मापी पुस्तिका जॉच हेतु सहायक अभियंता को दिया गया था, परन्तु लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी मापी पुस्तिका संचिका में नहीं पाया गया।

अभिकर्त्ता को योजनाओं का अंतिम भुगतान कर दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।

41 (33)

संचिका में दिप्पणी के अनुसार कार्य पूर्ण करा लिया गया था, तो संबंधित अभिकर्त्ता द्वारा योजना में प्रयुक्त किये सामग्री एक मास्टर रौल समर्पित नहीं करने का कारण नहीं बताया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के उतर में बताया गया कि मापी पुस्तिका प्राप्त होने पर सामग्री एवं मास्टर रौल समर्पित कराया जायेगा। मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तब तक ब्यय की गयी राशि रू0 232500 अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।	
26. **नगर पंचायत, रामनगर द्वारा बी0आर0जी0एफ0 से वर्ष 2011–12 में ली गई योजना में अनियमितता विलंब शुल्क की कटौती नहीं**	
नगर पंचायत, रामनगर द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान बी0आर0जी0एफ0 योजना अंतर्गत 12 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इन योजनाओं के लिए अल्पकालिक निविदा 03/2012–13 आमंत्रित की गई। संचिका के नमूना जॉच (विवरण संलग्न) के क्रम में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई :– (1) संलग्न विवरणी के क्रम संख्या 1 में वर्णित योजना के नमूना जॉच में पाया गया की एम0बी0 पर जे0ई0 द्वारा दिनांक 03.04.013 को मापी की गई जिसे ओवरराईटिंग कर 23.03.013 किया गया जबकि ए0ई0 द्वारा दिनांक को 10.04.013 को तथाा ई0ई0 द्वारा दिनांक 09.04.013 को हस्ताक्षर किया गया। आगे संवेदक द्वारा कार्य को प्राक्कलित से 0.25: कम करने का एकरारनामा किया परन्तु बिल पारित करते समय 0.25: राशि कम नहीं की गई जिसके कारण अभिकर्त्ता को कुल 969 रू0 अधिक भुगतान किया गया (387568 से 0.25: कम)। यह राशि अभिकर्त्ता से वसूलनीय हैं। (2) कार्य का ससमय निष्पादन न होने से वसूलनीय दंड की राशि 51415 रू0 संचिका के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि संवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि के उपरांत कार्य पूर्ण किया गया। कार्य निष्पादन के लिए हुए संवेदक के साथ संविदा के अनुसार नियम–2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं कि कार्य के निर्धारित अवधि से ज्यादा में पूर्ण करने की स्थिति में, संवेदक को 1/2: प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 10: तक प्राक्कलित राशि का दंड स्वरूप देय होगा। उपरोक्त नियम के अनुसार संवेदकों से नगर पंचायत, द्वारा कुल 51415 रू0 दंडस्वरूप नहीं काटा गया। इसे संवेदको से वसूल की जाय। (3) बिहार खनन एवं भूतत्व छूट नियम 1972 के नियम 40(10) तथा सरकारी निर्देश के अनुसार संवेदक को Quarry से सामग्री लाने की स्थिति में प्रपपत्र M तथा N भुगतान हेतु जमा करना हैं। नगर पंचायत, रामनगर में प्रस्तुत संचिका की नमूना जॉच के क्रम में पाया गया की संवेदकों द्वारा सामग्री का क्रय तथा उसका उपयोग कार्यो पर किया गया तथा कुल 555499 रू0 माल ढुलाई भाड़ा के रूप में संवेदकों को भुगतान किया गया जिसका विवरण संलग्न है।	संवेदक से राशि वसूल कर नगर पंचायत, के खाते में जमा कर दिया गया है। एम0आर0 की छायाप्रति संलग्न।

48 32

संलग्न सूची के अनुसार लगाये गये सामग्री के समर्थन में कोई दस्तावेज संचिका में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि अधिक राशि का भुगतान संवेदक से कर ली जायेगी तथा खनिज की ढुलाई के संबंध में अंकेक्षण टिप्पणी को आगे बिल पारित करते समय ध्यान में रखा जायेगा तथा संवेदक से संबंधित प्रपत्र मॉगी जायेगी।

27. **नगर निधि मद से कार्यान्वित योजना में अनियमितताएँ**

सामान्य रोकड़बही 2011–12 एवं 2012–13 के नमूना जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत, द्वारा योजना की पंजी का संधारण नहीं किया गया था, परन्तु रोकड़बही के अनुसार कुल 27 योजनाओं पर कार्यान्वयन कराया गया था, जिसमें सभी योजनाओं में अंतिम भुगतान कर दिया गया था।

(विवरणी परिशिष्ट–XI पर)

अंकेक्षण टिप्पणी :–

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा नगर निकायों में स्पष्ट निर्देश था कि निकायों में योजना का कार्यान्यवन केवल संवेदक के द्वारा निविदा के माध्यम से ही कराना था, परन्तु नगर पंचायत, द्वारा कार्य विभागीय कराया गया था। नगर निधि मद से वित्तीय वर्ष 2011–12 में कार्यान्वित योजना की पंजी एवं संचिका में प्रस्तृत नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उतर में बताया गया कि उक्त आपत्ति के पश्चात् अब विभागीय कार्य नहीं कराया जायेगां। योजना पंजी संधारण कर लिया गया है।

योजना संचिका लंखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव आदि की जॉच नहीं की जा सकी। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। तब तक इस पर ब्यय की गयी राशि रू0 1381569/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

सभी अभिश्रव को वतमान अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है।

28 **क्रय में अनियमितताएँ**

सशक्त स्थायी समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में नगर पंचायत, हेतु कुर्सी एवं आलमीरा क्रय किये जाने हेतु स्थानीय बाजार से कोटेशन (दर प्राप्त किया गया था, जिसका विवरण निम्न पकार है:–

फर्म का नाम एवं पता	कोटेशन का दर	
	कुर्सी (प्लास्टीक)	अलमीरा
असमीरा वाला भगत सिंह चौक रामनगर	800/–	7500/–
विक्की स्टील पुरानी बाजार	825/–	7800/–
मॉडर्न स्टील रामनगर	840/–	8000/–

मे0 अलमीरावाला को अधिक भुगतान की गई राशि मो0 500/– वसूल कर लि गई है। छायापति संलग्न।

अंकेक्षण टिप्पणी :–

कोटेशन के अनुसार स्वीकृत न्यूनतम दरदाता में0 अलमीरा वाला, भगत सिंह चौक रामनगर द्वारा आपूर्ति किये गये उपस्कर पर प्रस्तुत विपत्र, कोटेशन का दर एवं अधिक राशि के विपत्र की प्रस्तुती का विवरण निम्न प्रकार है:–

उपस्कर	मात्रा	कोटेशन का दर	विपत्र का दर	विपत्र स्थिति	अधिक राशि
कुर्सी	21	800/–	800/–	16800/–	––
अलमीरा	1	7500/–	8000/–	8000/–	500/–
			कुल :–	24800/–	500/–

नगर पंचायत, द्वारा उपरोक्त क्रय किये गये उपस्कर हेतु 24800/ का भुगतान रोकड़पाल को किया गया था एवं रोकड़पाल द्वारा राशि संबंधित फर्म को नगद भुगतान किया गया था।

अतः कोटेशन से अधिक दर पर किये गये भुगतान की राशि 500/– की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए।

29. **मैचिंग ग्रांट मद से वर्ष 2011–12 में ली गई योजना में अनियमितता**

(1) कार्य का ससमय निष्पादन न होने से वसूलनीय दंड की राशि 70740 रू0 की कटौती नहीं

नगर पंचायत, रामनगर के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में नगर पंचायत, अंतर्गत मैचिंगग्रांट मद से वर्ष 2011–12 में निविदा आमंत्रण सूचना 03/2011–12 से 23 योजना ली गई। संचिका के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि संवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण करने की नीयत तिथि के उपरांत कार्य पूर्ण किया गया। कार्य निष्पादन के लिए हुए संवेदक के साथ संविदा के अनुसार नियम–2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं कि कार्य के निर्धारित अवधि से ज्यादा में पूर्ण किया गया। कार्य के निर्धारित अवधि से ज्यादा में पूर्ण करने की स्थिति में संवेदक को 1/2: प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 10 प्रतिशत तक पाक्कलित राशि का दंड स्वरूप देय होगा। परन्तु संवेदकों से दंड की राशि की कटौती किए बिना उसे पूर्ण भुगतान कर दिया गया। अतः दंड की राशि रू0 70740 संबंधित संवेदकों से वसूल की जाय।

उपर्यक्त राशि के वसूली हेतु सभी संवेदको नोटिस किया गया हैं।

32. हाई मास्क लाईट के क्रय में अनियमितता

अंकेक्षण टिप्पणी :–

	(1) सरकार का निर्देश था कि वेतन मद की राशि को जरूरत पड़ने पर योजना पर ब्यय करना था तथा वेतन/पेशन की बचत राशि को योजना पर ब्यय किया जा सकता था इस संबंध में बोर्ड द्वारा किस आधार पर वेतन मद में सिर्फ 10 प्रतिशत तथा विधुत मद में 10 प्रतिशत छोडकर 80 प्रतिशत राशि को योजना में बयय किया गया जबकि नगर पंचायत, कर्मचारियों के पेंशन भुगतान हेतु नगर पंचायत, मे अलग से कोई निधि का गठन नहीं किया गया जो भविष्य में सेवानिवृत कर्मचारियों के जीवनयापन में मददगार होगी।	उक्त वर्ष में वेतन/पेंशन मद में प्रर्याप्त राशि उपलब्ध होने के कारण बोर्ड द्वारा आंवटन की राशि में से योजना में ब्यय किया गया।
	(2) आर0के0 इंटरप्राईजेज को 772000 रू0 प्रति हाई मास्ट के दर को स्वीकृत किया गया जबकि इसी प्रतिष्ठान को नगर परिषद् बेतिया में दिनांक 14.01.012 के अनुसार प्रति हाई मास्ट 475000 रू0 की दर से हाई मास्ट की दर से हाई मास्ट अधिष्ठापन करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार नगर पंचायत, रामनगर द्वारा प्रति हाईमास्ट लाइट में रू0 297000 का अधिक ब्यय किया गया। योजना मद में 80 प्रतिशत ब्यय किया जाएगा। लेखापरीक्षा आपत्ति के उतर में प्रति हाई मास्ट लाईट में रू0 297000 का ब्यय किये जाने का कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार प्रति हाईमास्ट लाइट में रू0 297000 के ब्यय से कुल 4 हाईमास्ट लाइट में रू0 1188000 का अधिक ब्यय हुआ। इसकी उच्चस्तरीय जॉच वांछनीय है। जॉच रिर्पोट आने तक संवेदक को किये गए भुगतान की राशि रू0 1906840 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।	नगर परिषद् बेतिया द्वारा 10 मीटर 6 छव लाईट वाला हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन मो0 475000/– रू0 कराया गया था। जबकि नगर पंचायत, रामनगर द्वारा 16 मीटर 12 बारह लाईट वाला हाईमास्ट लाईट का अधिष्ठापन कार्य कराया गया था। इस लिए संवेदक को अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
36.	**अग्रिम** नगर पंचायत, द्वारा अग्रिम पंजी संधारण नहीं किया गया था, जिसके चलते पूर्व का अयमायोजित अग्रिम एवं 31.03.2013 का अयमायोजित अग्रिम का वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं पाया गया। (विवरणी परिशिष्ट–XVI पर) रोकड़बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभिन्न पदाधिकारीयों/कर्मचारियों को कुल रू0 56000 का अग्रिम दिया गया था जिसका समायोजन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के उतर में बताया गया कि उक्त अग्रिम का समायोजन कर दिया गया हैं। विपत्र एवं अग्रिम का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। अग्रिम के समायोजन से संबंधित प्रमाण लेखापरीक्षा में दिखयें जाने तक दी गयी अग्रिम की राशि रू0 56000/ को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।	सभी अग्रिम का समायोजन कर लिया गया हैं। जिसका विपत्र वर्तमान अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है।
37.	**नगर पंचायत, द्वारा अनुबंध पर नियुक्ति में अनियमितताऐं**	

नगर पंचायत, रामनगर द्वारा अनुबंध पर किये गये नियुक्ति की संचिका की नमूना जॉच में कनीय अभियंता की नियुक्ति में अनियमितताएँ पायी गई।

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 31.12.12 को सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव सं0–2 में नगर पंचायत, रामनगर में कनीय अभियंता के पद के सृजन के अभाव में सीनीय श्री नीरज कुमार सिंह, सिविल इंजिनियर को अनुबंध पर रखने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय एवं श्री निरज कुमार सिंह का रामनगर पंचायत, में अनुबंध पर रखने हेतु आवेदन पर सभी वार्ड पार्षदों की सहमति के आलोक में नगर पंचायत के पत्रांक सं0 68 दिनांक 22.01.013 के द्वारा अनुबंध पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। कनीय अभियंता के पद पर अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन नहीं निकाला गया। संचिका में सिविल इंजियरिंग में डिप्लोमा उर्त्तीण का प्रमाण संलग्न था, जिसमें लगभग 18 वर्ष पूर्व उर्त्तीण पाया गया, परन्तु संचिका में जन्म तिथि का जिक्र नहीं था। किसी भी सरकारी सेवा के लिए उम्र/जन्म तिथ्झि पर विचार अपरिहाय होता है। परन्तु संचिका के अनुसार दिनांक 24.01.013 को श्री सिंह का उम्र कितना था स्पष्ट नहीं था।

इससे प्रतीत होता हैं कि नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण किए बगैर एवं प्रमाणपत्रों की विधिवत जॉच किए बिना ही अनुबंध पर नियुक्ति कर ली गयी।

उक्त कनीय अभियंता को तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्य मुक्त कर दिया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, रामनगर